रिक्ति परिपत्र

सं. ए/38927/ई–3/मुप्रअ/भर्ती–3

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
(संयुक्त सचिव एंव मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय)

कमरा संख्या 174, ई– ब्लॉक
दारा शुकोह रोड
नई दिल्ली– 110011

दिनांक 03 जनवरी 2018

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
सभी राज्य सरकारों के प्रमुख सचिव
सभी केन्दशासित प्रदेशों के प्रमुख सचिव

विषयः– सशस्त्र सेना फिल्म और फोटो प्रभाग, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (वायु सेना), और संयुक्त साइफर ब्यूरो, रक्षा मंत्रालय में बिजली मिस्त्री (ज्येष्ठ श्रेणी) के तीन पदों (03) को प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर भरे जाने हेतु।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सशस्त्र सेना फिल्म और फोटो प्रभाग, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (वायु सेना), और संयुक्त साइफर ब्यूरो, रक्षा मंत्रालय में बिजली मिस्त्री (ज्येष्ठ श्रेणी) के तीन पदों (03) को प्रतिनियुक्ति के आधार पर एवं भूर्तपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन के आधार पर भरे जाने हेतु आवश्यकता है। इस पद का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :–

पदनाम, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर	पदों की संख्या	पात्रता शर्तें एवं योग्यता
बिजली मिस्त्री (ज्येष्ठ श्रेणी) साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग,' अराजपत्रित, अननुसचिवीय वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4	(03)	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संध राज्य क्षेत्र प्रशासनों के ऐसे अधिकारी – (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 3 के पदों में पॉच वर्ष नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 के पदों में आठ वर्ष नियमित सेवा की है; या (iv) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 के पदों में ग्यारह वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ है, अर्थात :– आवश्यक (1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य;

		(2) बिजली मिस्त्री व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डिप्लोमा; (3) विद्युत पर्यवेक्षक का सक्षमता प्रमाणपत्र; (4) विभिन्न प्रकार में उच्च विभव और निम्न विभव विद्युत स्थापनों, जिसके अंतर्गत भूमिगत केबल प्रणाली भी हैं, निर्माण, उसके चालन और अनुरक्षण का तीन वर्ष का अनुभव। **वांछनीय** : विद्युत त्रुटि निरूपम को समझनें और तदनुसार कार्य करने के योग्य होना चाहिए। **भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन** सशस्त्र बल के ऐसे कार्मियों के संबध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और यथा विहित अर्हताए हों। **आवश्यक** (1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य; (2) बिजली मिस्त्री व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डिप्लोमा; (3) विद्युत पर्यवेक्षक का सक्षमता प्रमाणपत्र; (4) विभिन्न प्रकार में उच्च विभव और निम्न विभव विद्युत स्थापनों, जिसके अंतर्गत भूमिगत केबल प्रणाली भी हैं, निर्माण, उसके चालन और अनुरक्षण का तीन वर्ष का अनुभव। **वांछनीय** : विद्युत त्रुटि निरूपम को समझनें और तदनुसार कार्य करने के योग्य होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को उस तारिख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारिख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना हैं; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता हैं। (सिविल पदों के प्रतिनिर्देश से अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन)

2. कार्य रुपरेखा :–बिजली के स्वीच, स्वीच बोर्ड, लाइट, और पंखे की देखभाल और मरम्मत करना । बिजली के यंत्रो की ब्लु प्रिन्ट को पढना और उसकी पहचान रखना। बिजली की छोटी मोटी मरम्मत करना। हेड मकेनिक के साथ रहकर उनकी_रहकर उनकी मदद करना।

3. पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ती की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का ज्ञा सं 6/8/2009–Estt (Pay II) दिनांक 17–6–2010 एवं इसके अनुवर्ती सशोधनों, यदि कोई हो, के अनुसार होगी ।